न्यायालय :– अपर सैशन न्यायाधीश, दूदू, जिला–जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– संदीप आनन्द, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत आवेदन संख्या : **515/2022**

1. साहिल पुत्र सलीम मोहम्मद, निवासी लुहार चौक रंगमंच के पास दूदू, थाना दूदू, जिला जयपुर राज0

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, दूदू, जिला जयपुर

––अप्रार्थी

जमानत आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं.
एफ.आई.आर. नम्बर 410/2022, थाना दूदू
अपराध अन्तर्गत धारा 394 भा.दं.सं.

उपस्थिति :–
1. श्री इमरान खान, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त
2. श्री त्रिलोकेश सिंह अपर लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य।

आदेश

दिनांक :– 12 दिसम्बर, 2022

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त साहिल की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई, जिन्होंने केस डायरी प्रस्तुत की।

2. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी महेश कुमार यादव ने पुलिस थाना दूदू में एक तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 24.07.2022 को इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 24.07.2022 की रात 12:30 के लगभग वह अपनी टैक्सी कार इटोस नंबर आरजे–14–पीई–8273 को लेकर अजमेर रोड 200 फिट जयपुर पर खड़ा था। तीन लड़कों ने उसे साली साखून चलने के लिए 2200 रूपये में गाड़ी बुक किया, वह उनको परासुली से साखून रोड पर करीब 2 बजे जा रहा था तो पेशाब करने के बहान गाड़ी को रूकवाया तथा उसके साथ मारपीट कर गाड़ी छीन ले गये तथा उसका मोबाइल फोन जिसके नंबर 9660445551 व 6375828687, पर्स जिसमें आधार कार्ड, गाड़ी के

कागज, एटीम कार्ड केडिट कार्ड, पेन कार्ड, डीएल तथा उसके छोटे भाई गणेश कुमार यादव का पर्स भी जो गाड़ी में रखा था, जिसमें उसका आधार कार्ड, पेन कार्ड, एटीम कार्ड, डीएल इत्यादि व लगभग करीब दस–बारह हजार रूपये भी ले गये..........आदि।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र दूदू द्वारा मुकदमा सं. 410/2022 अन्तर्गत धारा 394 भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर अनुसंधान आरम्भ किया गया एवं अनुसंधान के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त साहिल को दिनांक 20.11.2022 को गिरफ्तार किया जाकर विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संबंधित न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में प्रेषित करने पर प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा एक जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 437 दं.प्र.सं. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.12.2022 द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया गया, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया।

4. प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने निवेदन किया कि उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। सह अभियुक्त भागचंद व पिंटू की जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत की सुविधा का लाभ दिया जावे।

5. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी में प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में एक मुकदमा संख्या 351/20 अंतर्गत धारा 323, 341, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता में पुलिस थाना दूदू पर दर्ज है।

मुकामी पुलिस द्वारा अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 394 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित माना है। सह अभियुक्त भागचंद गुर्जर को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एकल पीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 14379/22 में पारित आदेश दिनांकित 21.09.2022 द्वारा जमानत की सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सह अभियुक्त पिंटू को भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जमानत की सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत खेत सिंह वगैरह बनाम राजस्थान राज्य एकल पीठ दाण्डिक जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 861/21 दिनांकित 25 जनवरी, 2021 में पारित सिद्धांतों की रोशनी में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त साहिल पुत्र सलीम मोहम्मद, निवासी लुहार चौक रंगमंच के पास दूदू, थाना दूदू, जिला जयपुर राज0 की ओर से प्रस्तुत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. स्वीकार कर यह आदेशित किया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त अपनी नियमित उपस्थिति बाबत 25,000/– हजार रूपये की जमानत व 25,000/– हजार रूपये का मुचलका विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टिप्रद प्रस्तुत कर प्रमाणित करवा दें तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 410/2022 पुलिस थाना दूदू, जिला–जयपुर के प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(संदीप आनन्द)
अपर सेशन न्यायाधीश,
दूदू, जिला जयपुर

8. आदेश आज दिनांक **12 दिसम्बर, 2022** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(संदीप आनन्द)
अपर सेशन न्यायाधीश,
दूदू, जिला जयपुर